



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252703
CG-DL-E-07032024-252703

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1005]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2024/फाल्गुन 15, 1945

No. 1005]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2024/PHALGUNA 15, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1050(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/लंबाई किमी में (3)
नया रारा-544डी	अनंतपुर – मुचुकोटा –ताडीपतरी – बुग्गा खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	74.450 किमी
नया रारा-340सी	कुरनूल – आत्माकुर खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	66.115 किमी
नया रारा-40	चित्तूर – तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	21.817 किमी
नया रारा-69	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा – पलमानेर – नलगमपल्ली – चित्तूर खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	समग्र रारा आंध्र प्रदेश राज्य में

नया रारा-71	मदनापल्ली – पिलेरू - कलुर खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	74.000 किमी
नया रारा-71	रेनीगुंटा से नायडूपेटा खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	57.046 किमी
नया रारा-716	कडापा से रेनीगुंटा खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	121.935 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/09/2023-पी ऐंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1050(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

Table

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
New NH-544D	Anantapur - Muchukota - Tadipatri - Bugga Section (In the State of Andhra Pradesh)	74.450 km.
New NH-340C	Kurnool - Atmakur Section (In the State of Andhra Pradesh)	66.115 km.
New NH-40	Chittoor-Tamil Nadu/Andhra Pradesh border section (In the State of Andhra Pradesh)	21.817 km.
New NH-69	Karnataka/Andhra Pradesh border-Palmaner-Nalagampalli - Chittoor Section (In the State of Andhra Pradesh)	Entire NH in the State of Andhra Pradesh
New NH-71	Madanapalle- Pileru –Kalur Section (In the State of Andhra Pradesh)	74.000 km.
New NH-71	Renigunta to Naidupeta Section (In the State of Andhra Pradesh)	57.046 km.
New NH-716	Kadapa to Renigunta Section (In the State of Andhra Pradesh)	121.935 km.

[F. No. NH-14013/09/2023-P&M(Pt)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1051(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 796(अ), दिनांकित 10 मार्च, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:—

रारा-221	चंद्रगुंडेम – आं. प्र./तेलंगाना सीमा खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 32.735 से किमी 71.200
----------	--	----------------------------

क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:—

रारा-221 (नया रारा-30)	(इब्राहिमपट्टनम - चंद्रगुडेम आं. प्र./तेलंगाना सीमा खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में))	किमी 0.000 से किमी 71.200
---------------------------	--	---------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/09/2023-पी एंड एम(पाई)]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 796(अ), दिनांकित 10 मार्च, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1051(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 796(E), dated the 10th March, 2017, namely:—

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:—

NH-221	Chandragudem-AP/Telangana border Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km.32.735 to Km 71.200
--------	--	------------------------

The following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:—

NH-221 (New NH-30)	(Ibrahimpattam- Chandragudem AP/Telangana border Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km.0.000 to Km. 71.200
--------------------	---	------------------------

[F. No. NH-14013/09/2023-P&M(Pt)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note:—The principal notification was published vide number S.O. 796(E), dated the 10th March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1052(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (नई रारा सं. 16) [किमी 0.000 से किमी 3.400 (विजयवाड़ा - विशाखापट्टनम खंड और कोवुरू-राजामुंदरी खंड (14.939 किमी)], सं. 9 (नई रारा 65 किमी 266.400 से किमी 270.340 [हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड], सं. 18 (नई रारा सं. 40 कडप्पा से चित्तूर), सं. 43, (नई रारा सं. 26 ओडिशा सीमा से नटवालसा तक), नया रारा-67 {किमी 589.00 से किमी 741.950 तक (मायदुकुर - दोरनाला टी-जंक्शन - आत्माकुर - नेल्लौर खंड) और (वेंकटचलम से कृष्णापट्टनम पत्तन खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 42, (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से अनंतपुराम्), सं. 205 (नई रारा सं. 42 अनंतपुर - मदनापल्ली, नई	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार"

<p>रारा सं. 71 [मदनापल्ली – पिलेरू –कलुर खंड (74.00 किमी) तक खंड को छोड़कर], सं. 214 (नई रारा सं. 165 पमारू से दिगामारू तक और नई रारा सं. 216 दिगामारू से काथीपुडी तक), सं. 214ए (नई रारा सं. 216 दिगामारू से ओंगोल तक), सं. 219 (नई रारा सं. 42 मदनापल्ली से तमिलनाडु सीमा तक), सं. 221 (नई रारा सं. 30) [किमी 0.000 से किमी 71.200 (इब्राहिमपट्टनम - चंद्रगुडेम - आ. प्र./तेलंगाना सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 234 (नई रारा सं. 75 कर्नाटक सीमा से तमिलनाडु सीमा), नई रारा सं. 167 (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से आ. प्र./कर्नाटक सीमा), नई रारा सं.167ए, नई रारा सं. 167एडी, नई रारा सं. 167एजी, नई रारा सं. 167बी, नई रारा सं. 167के, नई रारा सं. 167बीजी, नई रारा सं. 326 (ओडिशा सीमा से चिंतुरू तक), नई रारा सं. 326ए, {ओडिशा सीमा से नरसन्नापेट (नई रारा सं. 16 पर)}, नई रारा सं. 340 [रायचोटी (रारा-40) से करबलाकोटा (नया रारा-42) तक], नई रारा सं. 340सी [किमी 0.000 से किमी 66.115 (कुरनूल से आत्माकुर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 340बी, नई रारा सं. 342, नई रारा सं. 365बीबी, नई रारा सं. 516बी, नई रारा सं. 516डी, नई रारा सं. 516ई, नई रारा सं. 544डी [अनंतपुर – मुचुकोटा – ताडीपतरी – बुग्गा खंड (74.45 किमी) तक खंड को छोड़कर] और किमी 212.983 से किमी 322.800 (गिड्डानुर – विनुकोंडा खंड) को छोड़कर}, नई रारा-440, नई रारा सं. 544डीडी, नई रारा सं.544ई, नई रारा सं. 565 {किमी 86.057 से किमी 133.922 तक और किमी 154.900 से किमी 361.327 तक (नागार्जुनसागर डैम – दाउलापल्ली - मरकापुरम - वग्गमपल्ली - दोरनाला टी-जंक्शन खंड तक छोड़कर) और किमी 425.400 से किमी 509.400 (पेंचलकोना - येरपेडू खंड) को छोड़कर}, नई रारा सं. 716, [कडापा से रेनीगुंटा खंड (किमी 121.935) तक खंड को छोड़कर] नई रारा सं. 716ए, नई रारा सं. 716जी, नई रारा सं. 765 [तेलंगाना सीमा से टोकापल्ली (नया रारा-565), नई रारा सं. 216ई और नई रारा सं. 216एच के उतने भाग जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।</p>	
---	--

[फा. सं. एनएच-14013/09/2023-पी एंड एम (पार्टी)]

अभय जैन, उप सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 808(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1052(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Table

(1)	(2)	(3)
“1	So much of National Highways No. 5(new NH No. 16) [from Km. 0.000 to Km. 3.400 (Vijaywada-Vishakhapatnam section and Kovvuru Rajahmundry Section (14.939 Km)], No. 9 (new NH 65 from Km. 266.400 to Km. 270.340 [Hyderabad-Vijaywada Section, No.18 (New NH No. 40 from Cuddapah to Chittoor), No. 43 (New NH No.26 from Orissa Border to Natavalsa), New NH-67 {excluding from Km 589.00 to Km 741.950} (Mydukur-Dornala T Junction-Atmakur Nellore Section) and (Venkatachalam to Krishnapatnam Port section)}, new NH No.42 (from Karnataka/AP border to Ananthapuramu), No. 205 (New NH No.42 from Annantapur- Madanapalle , New NH No. 71 [excluding from Madanapalle to Pileru-Kalur Section (74.00 Km)], No.214 (New NH No. 165 from Pamarru to Digamarru and New NH No. 216 from Digamarru to Kathipudi), No.214A (New NH No.216 from Digamarru to Ongole), No.219 (New NH No.42 from Madanapalli to	State Government of Andhra Pradesh

Tamil Nadu Border), **No.221 (New NH No. 30) {excluding from Km. 0.000 to Km. 71.200 [(Ibrahimpattam -Chandragudem - AP/Teleangana border Section)]**, No.234 (New NH No.75 from Karanataka Border to Tamil Nadu Border), New NH No.167 (from Karnataka/AP border to AP/Karnataka border), new NH No.167A, new NH-167AD, new NH-167AG, new NH No.167B, new NH No. 167K, new NH No.167BG, new NH No. 326 (from Odisha border to Chinturu), new NH No. 326A {from Odisha border to Narasannapet (on new NH No. 16)}, New NH No.340 [from Rayachoti (New NH-40) to Kurabalakota (New NH-42)], **new NH No. 340C (excluding from Km 0.000 to Km 66.115 (Kurnool to Atmakur Section)**, new NH-340B, new NH No. 342, new NH No. 365BB , new NH 516B, new NH 516D, new NH 516E, **new NH No. 544D [excluding from Anantapur - Muchukota - Tadipatri - Bugga Section (74.45 Km)]** and from Km 212.983 to km 322.800 (Giddanur- Vinukonda Section)}, new NH-440, new NH No. 544DD, new NH No. 544E, New NH No.565{excluding from Km 86.057 to Km 133.922 and from km 154.900 to Km 361.327 (Nagarjunasagar- Dam-Davulapally- Markapuram-Vaggampalle- Dornala T Junction Section)} and excluding from Km 425.400 to Km 509. 400 (Penchalakona-Yerpedu Section)}, **new NH 716 [excluding from Kadapa to Renigunta Section (121.935 Km)]**, new NH No.716A, new NH-716G, New NH No.765 [from Telangana Border to Tokapalli (New NH-565)], New NH No.216E and New NH No. 216H as are situated within the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14013/09/2023-P&M(Pt)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note:— The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O.808(E), dated the 21st February, 2024.